

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	बुरहानपुर जिले में नगरपालिका परिषद द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं भीलटबाबा मंदिर से संत बुढेबाबा आश्रम होते हुए कब्रिस्तान-हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.5288 हेक्टेयर वन भूमि नगर परिषद नेपानगर, जिला बुरहानपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:- 12 / 09 / 2023
स्थान:- भोपाल।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध), भोपाल, म.प्र.

(एच.एस. मोहन्ता)

12.05.23